रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022024-252262
CG-DL-E-21022024-252262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2024/फाल्गुन 1, 1945
No. 107]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 118(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में, नियम 45 में, —

(i) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: —

"(3) भारतीय खान ब्यूरो नवीनतम उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के लिए टंगस्टन सांद्र के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित मूल्यों के आधार पर टंगस्टन सांद्र के ऐसे मूल्य को निम्नलिखित से गुणा करके भारतीय रुपये में टंगस्टन ट्राइऑक्साइड (WO_3) का औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित करेगा, अर्थात्: —

(i) उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भ दर, और

(ii) 1.54 का रूपांतरण कारक";

(ii) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियमों को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(7) भारतीय खान ब्यूरो नवीनतम उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के लिए कैडमियम धातु, गैलियम धातु, इंडियम धातु, रेनियम धातु छर्रों, सेलेनियम पाउडर, टेल्यूरियम धातु और टाइटेनियम स्पंज धातु के लिए, यथास्थिति, संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित मूल्यों के आधार पर भारतीय रुपये में कैडमियम, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम और टाइटेनियम के औसत विक्रय मूल्य को उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भ दर से ऐसे मूल्य का गुणा करके प्रकाशित करेगा।

(8) भारतीय खान ब्यूरो नवीनतम उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के लिए बेरिलियम-तांबा मास्टर मिश्र धातु के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित मूल्यों के आधार पर भारतीय रुपये में ऐसे मूल्य को निम्नलिखित से गुणा करके बेरिलियम का औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित करेगा, अर्थात्: —

(i) उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भ दर, और

(ii) 25 का रूपांतरण कारक";

(9) भारतीय खान ब्यूरो नवीनतम उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के लिए टेंटालाइट के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित मूल्यों के आधार पर भारतीय रुपये में ऐसे मूल्य को निम्नलिखित से गुणा करके टेंटालम का औसत विक्रय मूल्य प्रकाशित करेगा, अर्थात्: —

(i) उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भ दर, और

(ii) 1.22 का रूपांतरण कारक";

(10) भारतीय खान ब्यूरो नवीनतम उपलब्ध कैलेंडर वर्ष के लिए वैनेडियम पेंटोक्साइड के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित मूल्यों के आधार पर भारतीय रुपये में उक्त कैलेंडर वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की औसत संदर्भ दर से वैनेडियम पेंटोक्साइड के ऐसे मूल्य को गुणा करके वैनेडियम पेंटोक्साइड के औसत विक्रय मूल्य को प्रकाशित करेगा।

[फा. सं. एम.VI-16/47/2023-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 279(अ), तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार सा.का.नि. 50(अ), तारीख 21 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2024

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, in rule 45, —

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Tungsten Trioxide (WO_3) in Indian Rupees on the basis of prices published by the United States Geological Survey or other reputed publications for Tungsten concentrate for the latest available calendar year by multiplying such price of Tungsten concentrate with the following, namely:—

(i) average reference rate of Reserve Bank of India for the said calendar year, and

(ii) the conversion factor of 1.54.";

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(7) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Cadmium, Gallium, Indium, Rhenium, Selenium, Tellurium and Titanium in Indian Rupees on the basis of prices published by the United States Geological Survey or other reputed publications for the Cadmium metal, Gallium metal, Indium metal, Rhenium metal pellets, Selenium powder, Tellurium metal and Titanium sponge metal, as the case may be, for the latest available calendar year by multiplying such price with average reference rate of Reserve Bank of India for the said calendar year.

(8) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Beryllium in Indian Rupees on the basis of prices published by the United States Geological Survey or other reputed publications for the Beryllium-copper master alloy for the latest available calendar year by multiplying such price with the following, namely:—

(i) average reference rate of Reserve Bank of India for the said calendar year, and

(ii) the conversion factor of 25.

(9) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Tantalum in Indian Rupees on the basis of prices published by the United States Geological Survey or other reputed publications for Tantalite for the latest available calendar year by multiplying such price with the following, namely:—

(i) average reference rate of Reserve Bank of India for the said calendar year, and

(ii) the conversion factor of 1.22.

(10) The Indian Bureau of Mines shall publish average sale price of Vanadium Pentoxide in Indian Rupees on the basis of prices published by the United States Geological Survey or other reputed publications for the Vanadium Pentoxide for the latest available calendar year by multiplying such price of Vanadium Pentoxide with average reference rate of Reserve Bank of India for the said calendar year.".

[F. No. M.VI-16/47/2023-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E), dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 50(E), dated the 21st January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA